कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

क्रमांक-537 A /II/भू-5/2019 ग्वालियर, दिनांक-21 / 6 /2019

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय- **भूमि बंधक दर्ज** करने एवं **विमुक्त करने** बावत्।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109(2) के अंतर्गत कृषि भूमि पर बंधक दर्ज किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु भू-लेख पोर्टल https://mpbhulekh.gov.in पर "**भूमि बंधक** " मॉड्यूल उपलब्ध है। इस मॉड्यूल में बैंक शाखाओं को कृषि भूमि के **बंधक दर्ज** करने हेतु आवेदन राजस्व न्यायालय में भेजने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करायी गयी है। बैंक शाखा द्वारा बंधक दर्ज किये जाने हेतु आवेदन किये जाने पर यह आवेदन संबंधित **पटवारी हल्का यूजर** के पास पहुँचेगा। पटवारी द्वारा अग्रेषित किये जाने पर आवेदन संबंधित **तहसीलदार यूजर** के पास पहुँचेगा।

2/ मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत यह सेवाऐं **4.17 भूमि बंधक दर्ज करना** एवं **4.18 भूमि बंधक निर्मुक्ति दर्ज करना** के रूप में पंजीबद्ध है। उक्त सेवाओं में सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा **03 कार्य दिवस** निर्धारित की गई है। अत: इस समय सीमा को पटवारी हल्का द्वारा बंधक अग्रेषित करने हेतु **01 कार्य दिवस** तथा तहसीलदार द्वारा आवेदन के निराकरण हेतु **02 कार्य दिवस** में विभक्त किया जाता है।

3/ उक्त समय सीमा अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों से कार्य सम्पादित कराया जाने और समय सीमा में निराकरण न होने पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी **अधिनियम,** 2010 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

संलग्न- 1. यूजर मैन्युअल की प्रति।
2. म.प्र. राजपत्र (असाधारण), दिनांक 02/09/2018 ।

आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पृ. क्रमांक-537A/11/भू-5/2019 ग्वालियर, दिनांक- 21/6/2019

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सम्भागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. मेसर्स भोपाल ई-गवर्नेन्स लिमिटेड, सी-10, चतुर्थ तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर, न्यूमार्केट, भोपाल - 462003 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. SMSLBC, Bhopal.

आयुक्त

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त

मध्यप्रदेश, ग्वालियर